

(55)

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
कार्यालय आदेश

का०आ०सं० 320 / ग्रा०वि०बटना, दिनांक 26 सितम्बर, 2007 ई०।

ग्रा०वि०स्थाना०/रा०ब०/सूचना-32/2006

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, बटना के कार्यालय आदेश सं०-129-सह बंठित झाबांक-3889 दिनांक 07.05.2007 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-19 के तहत विभाग के लिए नामित लोक सूचना बदाधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, वि०प्र०सो०, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, बटना को इस विभाग के अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अभिहीत किया गया है। श्री सिंह, अपीलीय प्राधिकारी को अवकाश में रहने अथवा अन्य कारणों से मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त अपील को निष्पादित करने के लिए किसी विभागीय बदाधिकारी को अभिहीत नहीं किया गया है जिसके फलस्वरूप उनके अनुपस्थित रहने की स्थिति में अपील संबंधित कार्यों का निष्पादन सही ढंग से नहीं हो पा रहा था।।

अतएव सम्यक विचारोपशान्त विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, वि०प्र०सो०, संयुक्त सचिव-सह-अपीलीय बदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, बटना के अवकाश में रहने अथवा अन्य कारणों से मुख्यालय से बाहर रहने के फलस्वरूप उनके द्वारा सम्पादित किये गये अपील से संबंधित कार्यों का निपटारा श्री उदय कान्त लाल दास, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, बटना करेंगे।

2. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।
3. कार्यालय आदेश सं०-129 दिनांक 07.05.07 को इस हदतक संबंधित समझा जाय।
4. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

॥ के० बी० सिंह ॥
सरकार के संयुक्त सचिव।
सितम्बर, 2007 ई०।

झाबांक 9083 / ग्रा०वि०बटना, दिनांक

प्रतिलिपि- सचिव-सह-निबन्धक, राज्य सूचना आयोग, सूचना भवन, चौथा तल्ला, बिहार, बटना/महानिदेशक, लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मीकरिसर, कुलवारीशरीक, बटना/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, बटना/ सभी प्रधान सचिव एवं सचिव/सभी विभागों/यस, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

26/9/07
-2